



जनपद- बिजनौर

प्रेसनोट:- थाना किरतपुर

दिनांक:- 29.05.2026

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 148/2026 धारा 115(2)/333/190/191(2) बीएनएस की घटना से संबंधित कुल 07 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.05.2026 को पीआरवी के माध्यम से ग्राम बुडगरी में दो पक्षों के मध्य मारपीट की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर थाना किरतपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां प्रथम पक्ष 1. शादाब पुत्र सरफराज 2. रियाज पुत्र इलयाज निवासीगण ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर तथा द्वितीय पक्ष 1. एहसान पुत्र अब्दुल सत्तार 2. इन्तियाज पुत्र मुस्ताक 3. मौ0 इरफान पुत्र अब्दुल सत्तार निवासीगण ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के मध्य आपसी विवाद को लेकर झगड़ा होना पाया गया, जिसमें दोनों पक्षों के व्यक्तियों को चोटें आईं। घायलों का सीएचसी किरतपुर में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया ।



प्रकरण में वादी रियाज अहमद पुत्र सरफराज निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर आरोपियों द्वारा घर में घुसकर धारदार हथियारों से मारपीट करने संबंधी आरोपों के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 0148/2026 धारा 115(2)/333/190/191(2) बीएनएस बनाम मौ0 एहसान आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया है ।

दिनांक 29.05.2026 को जांच के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो एवं उक्त मुकदमे को लेकर दोनों पक्षों के कुल 07 व्यक्तियों को शांति व्यवस्था भंग करने की स्थिति उत्पन्न करने पर गिरफ्तार किया गया है । प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. मौ0 माज पुत्र मौ0 आरिफ निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
2. सारिक पुत्र तस्लीम अहमद निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
3. नजीबुर्हमान पुत्र एजाज अहमद निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
4. समीर अंसारी पुत्र दिलशाद अंसारी निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
5. मौ0 समीर पुत्र मौ0 नईम पारवा निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
6. नौशाद पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
7. अहसान पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री आशीष पूनिया, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री रवेन्द्र कुमार, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

- 3.हे0का0 553 ललित कुमार, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 4.है0का0 319 अमित पंवार, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 5.का0 2083 राहुल सैनी, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 6.का0 1734 बिट्टु कुमार, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 7.का0 1206 सुशील कुमार, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 8.का0 1015 अजय राठी, थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेसनोट-थाना नहतौर

दिनांक 29.05.2026

थाना नहतौर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी मोटर साइकिल सहित किया गया के साथ किया गया गिरफ्तार ।

घटना एवं कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.05.2026 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा नहतौर-नूरपुर रोड स्थित आकू पुलिया के पास से चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.गुरुवेन्द्र उर्फ रितिक पुत्र लाखन सिंह निवासी अवन्तिका नगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा एवं 2.वंसी पुत्र धूम सिंह निवासी अम्बेडकर नगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को दिनांक 24.05.2026 को थाना जामा मस्जिद, नई दिल्ली क्षेत्र से चोरी करना बताया गया ।

बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में थाना जामा मस्जिद जनपद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली पर मु0अ0सं0 12007/2026 धारा 305(बी) बीएनएस पंजीकृत पाया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता:-

- 1.गुरुवेन्द्र उर्फ रितिक पुत्र लाखन सिंह निवासी मौ0 अवन्तिका नगर कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा
- 2.वंसी पुत्र धूम सिंह निवासी मौ0 अम्बेडकर नगर कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा

अभियुक्त गुरुवेन्द्र उर्फ रितिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 172/2026 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 12007/2026 धारा 305(B)बीएनएस थाना जामा मस्जिद नई दिल्ली
3. मु0अ0सं0 404/2025 धारा 115(2), 351(2) थाना गजरौला जनपद अमरोहा
4. मु0अ0सं0 233/2025 धारा 317(2)/317(5) थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा
5. मु0अ0सं0 688/2024 धारा 303(2), 317(2) थाना गजरौला जनपद अमरोहा

अभियुक्त गुरुवेन्द्र उर्फ रितिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 172/2026 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 12007/2026 धारा 305(B)बीएनएस थाना जामा मस्जिद नई दिल्ली

बरामदगी -

स्पलेन्डर बाइक बिना नम्बर प्लेट (चैसिस नं0- MBLHAW229PHB21142)

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राकेश मोहन थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0श्री सोनू निगम थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. का0 1356 अंकित चौहान थाना नहतौर जनपद बिजनौर
4. का0 472 भजन लाल थाना नहतौर जनपद बिजनौर
5. का0 1861 विकास कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट- जनपद बिजनौर

दिनांक 29.05.2026

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और कुल 2,10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 24.01.2024 को थाना स्योहारा क्षेत्र के ग्राम हामानंगली निवासी सन्तराम पुत्र पूरन सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोटना पाया गया । मृतक के पुत्र जयप्रकाश की तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 302/120(बी)/404 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1.जीतू उर्फ जितेन्द्र कुमार पुत्र दिलेराम 2.गौरव कुमार पुत्र कुन्दन 3.श्रीमती सुदेश निवासीगण ग्राम हामानंगली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया । विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.05.2026 को माननीय न्यायालय ADJ पॉक्सों एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तगण जीतू उर्फ जितेन्द्र कुमार व गौरव कुमार उपरोक्त को आजीवन कारावास व कुल 2,10,000/- रुपयों के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अभियुक्तों के नाम व पता –

- 1.जीतू उर्फ जितेन्द्र कुमार पुत्र दिलेराम निवासी ग्राम हामानंगली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.गौरव कुमार पुत्र कुन्दन निवासी ग्राम हामानंगली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर